न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2016
प्रविष्टि दिनांक 20.01.2016

रामस्वरूप पुत्र ओंकार जाति बैरवा निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
.... प्रार्थी

बनाम

1–रामदेव पुत्र छोटू जाति बैरवा निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक
2–श्रीमति धापू पत्नि रामदेव जाति बैरवा निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक
3–भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी उनियारा
.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री विजय बहादूर सिंह अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री जितेन्द्र जैन अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

<u>निर्णय</u> **दिनांक 06.02.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.01.2002 को प्रतिपक्षी रामदेव पुत्र छोटू व श्रीमति धापू पत्नि रामदेव का आ0ख0न0 1435 रकबा 0.34 है0 भूमि वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा मे आवंटन किया गया ह। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया है कि कृषि प्रयोजन के लिये बने नियम 1970 में तीन प्रकार के आवंटनों का उल्लेख किया गया है। प्रथम नियम 5 के तहत अनउपयोगी भूमि अर्थात जिस पर भूमि पर किसी का कब्जा नहीं हो वह आवंटन योग्य है तथा दूसरा स्ट्रीप ऑफ लेण्ड की भूमि जो नियम 19 मे है, जिसके तहत छोटे टुकडे जो खातेदारी से मिले हुए है, ऐसे टुकडो को समीपस्त खातेदार को आवटन किया जाता है । तीसरा अतिक्रमणकारियों को आवंटन जिसके तहत छोटे टुकडे जो खातेदारी से मिले हुए है, ऐसे अतिक्रमी जिसने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा हो, उस अतिचारी को ही आवंटन किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में उक्त तीनों ही नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि आवंटित खसरा नम्बर 1435 ग्राम ग्राम रोहित तहसील उनियारा में से रकबा 0.34 हैक्टेयर पर आवंटियो का पूर्व मे कोई कब्जा नही था।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

तथा ना ही पास में कोई उनकी खातेदारी की भूमि थी और ना ही उक्त भूमि कब्जा विहीन थी, क्योंकि आवंटन दिनांक 19.01.2002 में किया था,जबकि उक्त भूमि सम्वत 2049–2055 से ही प्रार्थी/आवेदक के पिता औंकार बैरवा के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, उसके बाद उक्त भूमि प्रार्थी/आवेदक के कब्जे में आज तक चली आ रही है तथा आवंटन वर्ष के हिसाब से उक्त भूमि पर आवेदक का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है।नियम 15 के तहत यह आज्ञापक है कि किसी भी आवंटी को आवंटन होने के पश्चात हल्का पटवारी कब्जा सुपुर्द करेगा। अधिकतम 15 दिन में तथा उसकी ट्रेस बनाकर तथा फीस लेकर सनद जारी करेगा। उक्त आवंटन में ऐसा नही किया गया। आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पालन नही किया है, क्योंकि ना तो कीमत भूमि आज तक जमा हुई है और ना ही 1/2 पर प्रथम वर्ष कब्जे में तथा शेष 1/2 हिस्से पर द्वितीय वर्ष में काश्त की गई है ,क्योकि कब्जा आवंटन से पूर्व से लेकर आज दिन तक आवेदक का है, जो खसरा परिवर्तनशील 2049–2055 से स्पष्ट है। आवंटी कभी भी ग्राम रोहित में नही रहे है। आवंटी रामगंज मण्डी जिला कोटा में वर्षो से निवास करते है। न्यायालय द्वारा जारी नोटिसो/सम्मन की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा तामील बाबत की गई रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि आवंटी ग्राम रोहित में नही रहते है। आवंटन आदेश पर केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर है,अन्य किसी सदस्य के नही है अर्थात पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर नहीं है। आवेदक की खातेदारी की भूमि आवंटित की गई खसरा नम्बर के खेतो की भूमि से मिली हुई है। इस प्रकार उक्त जमीन स्ट्रीट ऑफ लेण्ड की परिभाषा में आती है। आवंटियों का आवंटित भूमि पर कब्जा नही है। आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व एवं वर्तमान में भी आवेदक का ही निर्वाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। आवंटियों ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर एव आपसी षडयंत्र रचकर अपने [redacted] नुमाईशी आवंटन करवा लिया है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाबी बहस मे लिखित बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रतिपक्षीगण के हक मे दिनाक 19–1–2002 को किये गये आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है। प्रतिपक्षीगण के पक्ष मे भू– आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.34 है. ग्राम रोहित तहसील उनियारा मे विधिवत आवंटन की गई थी तथा कब्जा सुपुर्द किया गया था,तत्पश्चात् प्रतिपक्षीगण को खातेदारी अधिकार दिये गये है। खातेदारी मिलने के बाद 14(4) भू– आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन आदेश को चुनौती नही दी जा सकती है। आवंटित भूमि आवंटन के समय राजस्व रिकोर्ड मे राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज थी। सिवायचक भूमि हमेशा रिक्त भूमि मानी जाती है। अतिक्रमी को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है तथा वह हमेशा बेदखली का भागीदार ही माना जाता है तथा ऐसी भूमि पर आवंटन करने पर कोई पाबन्दी नहीं है। आवंटन आदेश की दिनांक को सलाहकार समिति के समक्ष कोई आवंटन का प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही था। आवंटन में कानूनी रूप से कोई त्रूटि नही है।जिस भूमि का आवंटन प्रतिपक्षीगण के पक्ष मे किया गया है,वह उनको आवंटन का पात्र मानकर तथा उनको भूमिहीन काश्तकार होने से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई है। 14(4) भू–आवटन 1970 के नियमो के अन्तर्गत किये गये आवंटन को अतिक्रमी की शिकायत पर निरस्त नही किया जा सकता,यह मामला स्मॉल स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की परिभाषा में नहीं आता है तथा प्रार्थी इन नियमों के तहत भी लाभ प्राप्त करने का हकदार नही है, अतिक्रमी को किसी प्रकार का अधिकार या संरक्षण प्रदान नही किया जा सकता है। आवंटन केवल तीन बिन्दुओ के आधार पर निररत किया जा सकता है यथा आवंटन छल कपट द्वारा या मिथ्या सत्यापन से प्राप्त किया गया हो, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश नियमो के

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

विपरीत जाकर पारित किया गया हो,आवंटी द्वारा किसी प्रकार आवंटन की शर्तो का उलघन किया हो,इसके अलावा आवंटन आदेश को निरस्त नही किया जा सकता, आवंटन आदेश वर्ष 2002 का है तथा इतने पुराने आवंटन को अर्थात 20 वर्ष बाद जाकर निरस्त किया जाना न्यायहित मे नही है। आवंटित भूमि पर आवंटी का आवंटन की तिथी से लेकर आज दिनाक तक कब्जा काश्त है। प्रतिपक्षीगण पेशे से काश्तकार है तथा उनका जीवन यापन कृषि कार्य व कृषि पैदावार पर निर्भर है तथा भूमिहीन काश्तकार है,जिनके द्वारा छल–कपट तथा मिथ्या सत्यापन नही किया गया है। प्रतिपक्षीगण सदभावी आवंटी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एव आवंटन पत्रावली व उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थीगण रामदेव पुत्र छोटू व श्रीमति धापू पत्नि रामदेव जाति बैरवा निवासी रोहित को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 19.01.2002 प्रशासन गॉव के संग अभियान–2001 को आ0ख0न0 1435 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम रोहित मे आवंटन किया गया है। आवंटन के बाद उक्त भूमि दिनांक 19.02.2002 को आवंटी को सुपुर्दगी मे दी गई है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर उसके पिता का और बाद मे उसका कब्जा चला आ रहा है। कब्जा मात्र से भूमि पर कोई अधिकारिता सिद्व नही होती है। प्रार्थी ने आवंटन कमेटी के समक्ष भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण ग्राम रोहित मे निवास ना कर रामगंजमण्डी जिला कोटा मे निवास करते है और आवटन आदेश पर केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर है,अन्य किसी सदस्य के नही है अर्थात पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर नहीं है,परन्तु पटवारी हल्का,भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार ने अप्रार्थी को ग्राम रोहित मे निवास करना अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया और आवंटन आदेश पर भी सरपंच ग्राम पंचायत झुण्डवा व विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा मुख्यालय अलीगढ के हस्ताक्षर है। आवंटित भूमि जमाबंदी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम रोहित मे अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है,जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है,जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर रामदेव पुत्र छोटू व धापू पत्नि रामदेव जाति बैरवा निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक को दिनांक 19.01.2002 को ग्राम रोहित की आराजी खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.34 है0 भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)